FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

झम्मन .... बनाम .... डालमल

केस्म मुकदमा 88-89-18 8 PTA मिसल नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/18	वाद वादी/वादीगण/वादनी झम्मन की ओर से अभिभाषक छीतरलाल गोचर द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 7/9/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-9-18	पत्रावली पेश हुई, वादी मय अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी नं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शा0 मि0 किया गया। इकबालिया जवाब दावा नकल वकील वादी को दीलाई गई। सहमति स्वरूप वादी व प्रतिवादीगण ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान छीतरलाल गोचर एडवोकेट एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पहचान हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा प्रमाणित की गई। इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी नं0 1 ने निवेदन किया कि जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक हिस्से भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 2 को बतौर सह खातेदार घोषित किया जावे। अतः इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 104 रकबा 3.29 है0, ख0नं0 197 रकबा 3.05 है0, ख0नं0 208 रकबा 1.05 है0, कुल किता 3 की रकबा 7.39 है0 भूमि में वादी को 1/3, प्रतिवादी नं0 1 को 1/3, प्रतिवादी नं0 2 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। रहन यथावत रहेगा । तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । (हस्ताक्षर)	वादी झम्मन (हस्ताक्षर) प्रतिवादी (1) रतनलाल (2) प्रमिला नागर (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा</u>

<u>उनवान</u>

1. अमन आत्मज दानमल जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा
– वादी

बनाम

1. दानमल आतमज छगनलाल जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा
2. प्रमिला पुत्री दानमल जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट</u>

मिसल नम्बर– 82/2018

निर्णय दिनांक :– 07.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आ0ए0एस0 बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 104 रकबा 3.29 है0, ख0नं0 197 रकबा 3.05 है0, ख0नं0 208 रकबा 1.05 है0, कुल किता 3 की रकबा 7.39 है0 भूमि में वादी को 1/3 , प्रतिवादी नं0 1 को 1/3, प्रतिवादी नं0 2 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.09.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0

Scanned by CamScanner

[illegible] गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)

सहायक कलक्टर

दीगोद

Scanned by CamScanner